



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुरदाण्डिक अपील सं. 2010/2022

[अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, द्वितीय फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय, बिलासपुर, जिला-
बिलासपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण (पॉक्सो) सं. 104/2021 में पारित
29.11.2022 दिनांकित निर्णय से उद्धृत।]

□ हिरवर नवरंग, पिता- स्वर्गीय रामाधीन, आयु- लगभग 59 वर्ष (अब 60 वर्ष),
निवासी- बागबुडवापारा, मुर्तीपारा, चौकी- जूनापारा, थाना- तखतपुर, जिला- बिलासपुर,
छत्तीसगढ़।

..... अपीलार्थी

बनाम

□ छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- चौकी- जूनापारा, थाना- तखतपुर, जिला- बिलासपुर,
छत्तीसगढ़।

..... उत्तरवादी

अपीलार्थी की ओर से : श्री मिर्जा कैशर बेग, अधिवक्ता

उत्तरवादी-राज्य की ओर से : श्री राहुल तमस्कर, सरकारी अधिवक्ता और श्री
आशुतोष शुक्ला, पैनल अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवालपीठ पर निर्णय20/06/2025



1. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत यह दाण्डिक अपील अपीलार्थी द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण (पॉक्सो) सं. 104/2021 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, द्वितीय फास्ट ट्रैक न्यायालय, विशेष न्यायालय, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़, द्वारा पारित 29.11.2022 दिनांकित आदेश और निर्णय की वैधता, मान्यता और शुद्धता को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा उसे सिद्धदोष किया जाकर निम्नानुसार दण्डादेश दिया गया है-

दोष सिद्ध	दण्ड
भा.द.वि. की धारा 354	भा. द. वि. की धारा 354 के तहत ₹2,000 के अर्थदण्ड के साथ 3 वर्ष के लिए कठोर कारावास; अर्थदण्ड की राशि का भुगतान न करने पर अपीलार्थी को छह माह के लिए अतिरिक्त कारावास से गुजरना पड़ेगा।
पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 9 (ड)/10 (संक्षेप में "2012 का अधिनियम")	₹2,000/- के अर्थदण्ड के साथ 5 वर्ष के लिए कठोर कारावास; अर्थदण्ड की राशि का भुगतान न करने पर अपीलार्थी को एक वर्ष के लिए अतिरिक्त कारावास से गुजरना पड़ेगा।
दोनों दण्ड को एक साथ चलाने का निर्देश दिया जाता है।	

अभियोजन प्रकरण :-

2. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत और विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकृत अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह है कि 27.07.2021 को दोपहर लगभग 3 बजे खैरहा बंधिया की जमीन, चौकी- जूनापारा, थाना- तखतपुर, जिला- बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में अपीलार्थी ने अप्राप्तवय



पीड़िता (अ.सा.-2) जो घटना के समय लगभग 8 वर्ष की थी पर गुरुतर लैंगिक हमला किया और इस तरह उपरोक्त अपराध कारित किया।

3. अभियोजन पक्ष का आगे का प्रकरण यह है कि 27.07.2021 को, पीड़िता की माता (अ.सा.-4) ने पुलिस को लिखित शिकायत (प्र.P/6) की कि 27.07.2021 की सुबह लगभग 8:00 बजे उसके पति (अ.सा.-9) खेत गया था और उसकी दो बेटियाँ स्कूल गई हुई थीं और उसकी छोटी बेटी- पीड़िता (अ.सा.-2), उसके साथ घर में थी। यद्यपि, सुबह लगभग 10:00 बजे पीड़िता (अ.सा.-2) मवेशियों को चराने के लिए खरीहा बंधिया जमीन गई और लगभग 3:00 बजे जब वह (अ.सा.-4) अपनी बेटी (अ.सा.-2) को वापस लाने के लिए मौके पर गई, तो उसने (अ.सा.-2) उसे (अ.सा.-4) अपीलार्थी के दाण्डिक कृत्य के बारे में सूचित किया, जिसके अनुसार बिना क्रमांक वाला प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.P/5 दर्ज किया गया और क्रमांक वाला प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.P/15 दर्ज किया गया। अपराध विवरण प्रपत्र और नाज़री नक्शा क्रमशः प्र.P/7 और P/11 तैयार किए गए थे। किशोर लाल खांडे (अ.सा.-1) द्वारा साबित किए गए दाखिल- खरीज पंजी (सामग्री-A), जिसे प्र.P/2 के माध्यम से जब्त किया गया था, के अनुसार पीड़िता (अ.सा.-2) की जन्म तिथि 01.01.2013 है। अन्वेषण प्रारंभ हुआ और अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया।

4. सम्मस्क अन्वेषण के बाद, अपीलार्थी पर उपरोक्त अपराधों के लिए आरोप- पत्र प्रस्तुत किया गया और प्रकरण विधि के अनुसार विचारण के लिए सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया। अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपने दोष से इनकार किया और बचाव में प्रवेश किया।

5. विचारण के दौरान, अपराध स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 13 साक्षियों का परीक्षण किया है; 18 दस्तावेज और सामग्री-A प्रदर्शित किए हैं जबकि बचाव में अपीलार्थी ने 2 साक्षियों का परीक्षण किया है और 3 दस्तावेज प्रदर्शित किए हैं। अपीलार्थी



का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभिलिखित किया गया जिसमें उसने अभिलेख में लाए गए साक्ष्य में अपने विरुद्ध दिखाई देने वाली परिस्थितियों से इनकार किया, निर्दोष होने और झूठा फंसाया जाने का अभिवाक् किया।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद, अपीलार्थी को निर्णय की प्रारंभिक कण्डिका में उल्लिखित अपराधों के लिए सिद्धदोष किया, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा दोषसिद्धी और दण्ड के आदेश के आक्षेपित निर्णय पर प्रश्न करते हुए यह अपील प्रस्तुत की है।

पक्षों का निवेदन-

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मिर्जा कैशर बेग निवेदन करते हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को प्रश्नाधीन अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना पूरी तरह अनुचित है। वह यह भी निवेदन करते हैं कि पीड़िता की आयु 12 वर्ष से कम साबित नहीं की जा सकी। वह आगे प्रस्तुत करेगा कि 5

अभियोजन प्रश्न द्वारा गुरुतर लैंगिक हमला को साबित नहीं किया जा सका और अपीलार्थी को गलत तरीके से अपराध में फंसाया गया है। इस प्रकार, अपीलार्थी संदेह के लाभ के आधार पर बरी होने का हकदार है और अपील को अनुमति दी जानी चाहिए।

8. श्री राहुल तमस्कर और श्री आशुतोष शुक्ला, राज्य के विद्वान अधिवक्ता, यह प्रस्तुत करेंगे कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपराध को घर लाने में सक्षम रहा है और विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को प्रश्न अपराध के लिए सही दोषी ठहराया है क्योंकि पीड़िता (अ.सा.-2) की उम्र 12 वर्ष से कम थी, जो कि मुख्य शिक्षक किशुन लाल खांडे (अ.सा.-1) द्वारा साबित किए गए दाखिल खरिज पंजी (सामग्री-A) के अनुसार थी। वे आगे प्रस्तुत करेंगे कि पीड़िता ने स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को अपराध में फंसाया है जिसकी पुष्टि पीड़िता की माता (अ.सा.-4), पीड़िता की बहन (अ.सा.-5) और पीड़िता के पिता



(अ.सा.-9) के कथन ों से होती है।अंतः अपीलार्थी बरी होने का हकदार नहीं है और अपील खारिज होने के योग्य है।

9. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है, ऊपर दिए गए उनके प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों को सावधानीपूर्वक देखा है।

चर्चा और विश्लेषण :-

10. **पीड़िता की आयु :-** पीड़िता (अ.सा.-2) की आयु साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष द्वारा दाखिल- खरीज पंजी (सामग्री-A) को अभिलेख में लाया गया है जिसेलाल खांडे (अ.सा.-1) द्वारा साबित किया गया है। प्रधान पाठक किशुन लाल खांडे (अ.सा.-1) ने दाखिल- खरीज पंजी (सामग्री-A) का समर्थन किया है। न्यायालय के समक्ष अपने कथन में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि पीड़िता की जन्म तिथि के संबंध में उसके द्वारा की गई प्रविष्टि को पीड़िता की माता (अ.सा.-4) द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड के आधार पर 01.01.2013 के रूप में अभिलिखित किया गया है। अ.सा.-1 को कुछ हद तक प्रतिपरीक्षण के अधीन किया गया है, परन्तु यह मानने के लिए कुछ भी नहीं निकाला गया है कि उसने पंजी में प्रविष्टि नहीं की थी। यहां तक कि पीड़िता की माता (अ.सा.-4) और पीड़िता के पिता (अ.सा.-9) दोनों ने न्यायालय के समक्ष अपने कथनों में समवर्ती रूप से कहा है कि घटना के दिनांक और समय पर उनकी बेटी की उम्र लगभग 8 वर्ष थी। इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि अपराध के दिनांक और समय पर पीड़िता की आयु 12 वर्ष से कम थी और मैं एतद्वारा इस संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि करता हूं।

11. अब यह बचाव पक्ष का प्रकरण है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि अपीलार्थी ने पीड़िता पर गुरुतर लैंगिक हमला किया था।

12. इस संबंध में यहाँ अप्राप्तवय पीड़िता (अ.सा.-2) के कथन पर गौर किया जा सकता है। पीड़िता (अ.सा.-2), यद्यपि वह बाल साक्षी है, परन्तु न्यायालय के समक्ष अपने कथन



में उसने स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को यह कहते हुए लिस किया है कि अपीलार्थी ने उसकी छाती को दबाया था और उसे कपड़े उतारने की भी कोशिश कर रहा था, और जब वह रौने लगी, तो उसने उसे छोड़ दिया। इसके बाद, उसकी माता (अ.सा.-4) मौके पर आई और उसने (अ.सा.-2) अपीलार्थी के आपराधिक कृत्य के बारे में अपनी माता को सूचित किया। उसे (अ.सा.-2 को) लंबे प्रति-परीक्षण के अधीन किया गया है, परन्तु यह मानने के लिए कुछ भी नहीं निकाला गया है कि उसने अपीलार्थी को प्रश्नगत अपराध में झूठा फंसाया है। अप्राप्तवय पीड़िता (अ.सा.-2) के उक्त कथन का स्पष्ट रूप से उसकी माता (अ.सा.-4) के कथन से समर्थन किया गया है, जिसे उसने (अ.सा.-2 ने) तुरंत घटना के बारे में सूचित किया। उसका लंबा प्रति-परीक्षण किया गया है, परन्तु यह मानने के लिए कुछ भी नहीं निकाला गया है कि उसने अपीलार्थी को प्रश्नगत अपराध में झूठा फंसाया है। इसके अलावा, पीड़िता के उक्त कथन के साथ-साथ पीड़िता की माता के कथन की पुष्टि पीड़िता की बहन (अ.सा.-5) और पीड़िता के पिता (अ.सा.-9), जिन्हें अ.सा.-2 और अ.सा.-4 ने घटना के बारे में सूचित किया था, के कथनों से होती है। उनका भी कुछ प्रति-परीक्षण किया गया है, परन्तु यह मानने के लिए कुछ भी नहीं निकाला गया है कि उन्होंने अपीलार्थी को प्रश्नगत अपराध में झूठा फंसाया है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम रहा है कि अपीलार्थी ने अप्राप्तवय पीड़िता पर गुरुतर लैंगिक हमला का अपराध कारित किया है।

13. तदनुसार, विचारण न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलार्थी ने प्रश्न अपराध अभिनिर्धारित किया जाता है और अपराध की दिनांक और समय पर पीड़िता की वर्ष 12 वर्ष से कम थी। इस प्रकार, अपीलार्थी को भा. द. वि. की धारा 354 और अधिनियम, 2012 की धारा 9 (ड)/10 के तहत अपराध के लिए सिद्धदोष किया है।

14. इस स्तर पर, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, श्री एम. के. बेग प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी की आयु को ध्यान में रखते हुए, जिसकी आयु लगभग 60 वर्ष है, उसे



अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (संक्षेप में "अ. प. अधिनियम") की धारा 4 का लाभ प्रदान किया जा सकता है।

15. अब, विचारार्थ प्रश्न यह होगा कि क्या इसमें अपीलार्थी को, जिसे अधिनियम, 2012 की धारा 9 (ड)/10 के तहत अपराध के सिद्धदोष किया जा चुका है, उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जा सकता है?

16. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 एक ऐसा अधिनियम है जो परिवीक्षा पर या उचित चेतावनी के बाद अपराधियों की रिहाई का प्रावधान करता है और उससे जुड़े मामलों के लिए 16 मई, 1958 से लागू हुआ। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 बच्चों को लैंगिक हमलों, लैंगिक उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों से बचाने के लिए एक अधिनियम है और इस तरह के अपराधों और इसके साथ या प्रासंगिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है जो जून, 2012 से प्रभावी हुए हैं।

17. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4, अच्छे आचरण के परिवीक्षा पर कुछ अपराधियों को रिहा करने की न्यायालय की शक्ति है। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 18 के आधार पर, कुछ अधिनियमनों के संचालन की बचत प्रदान करता है। रतन लाल बनाम पंजाब राज्य¹ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3,4 और 6 के लाभ का दावा उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन सभी अपराधियों द्वारा किया जा सकता है, सिवाय उन लोगों के जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराधों के दोषी पाए जाते हैं, जब तक कि उक्त अधिनियम को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 18 द्वारा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के बाद अधिनियमित किसी विशेष अधिनियम के तहत अपराधों के प्रकरण में बाहर रखा गया है जो न्यूनतम सजा विहित करता है।

1 AIR 1965 SC 444



18. अधीक्षक, केंद्रीय आबकारी, बेंगलोर बनाम बाहुबली² के मामले में, माननीय न्यायमूर्तियों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम उन मामलों में लागू नहीं हो सकता है जहां अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के बाद अधिनियमित कोई विशिष्ट विधि एक अनिवार्य न्यूनतम दण्ड विहित करता है और कण्डिका 10 में निम्नानुसार टिप्पणी की है :-

“10. पूर्वगामी कारणों से, हमारा मत है कि यद्यपि आम तौर पर, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 3,4 और 6 का लाभ, जैसा कि सुब्बा राव, न्यायाधीश (जैसा कि वे तब थे) द्वारा रतन लाल बनाम पंजाब राज्य [ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 444:(1964) 7 एस.सी.आर. 676:(1965) 1 क्रि. एल. जे. 360] दण्ड शास्त्र के क्षेत्र में सुधार की आधुनिक उदार प्रवृत्ति की प्रगति में एक मील का पत्थर है, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराधों के दोषी पाए जाने वालों के अलावा सभी अपराधियों द्वारा उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन दावा किया जा सकता है, जब तक कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों को उसकी धारा 18 द्वारा बाहर नहीं रखा जाता है, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के बाद अधिनियमित एक विशेष अधिनियम के तहत अपराधों के प्रकरण में, जो कारावास की न्यूनतम दण्ड निर्धारित करता है, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है यदि विशेष अधिनियम में भारत रक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 43 के समान प्रावधान है। तदनुसार, हम अपीलार्थी की ओर से दिए गए इस तर्क का समर्थन करते हैं कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 दण्ड 1958 के प्रावधानों का सहारा न्यायालय द्वारा नहीं लिया जा सकता है, जहां कोई व्यक्ति स्वर्ण नियंत्रण से संबंधित भारत की रक्षा नियमों के नियम 126-त(2)(ii) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध के लिए दोषी पाया जाता है जो भारत

2 (1979) 2 SCC 279



की रक्षा अधिनियम की धारा 43 के महत्वपूर्ण उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम दण्ड उपबंधित करता है। तदनुसार प्रश्न 1 का उत्तर नकारात्मक दिया जाता है।"

19. इसी प्रकार, राज्य बनाम रतन लाल अरोड़ा³ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चूंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के साथ-साथ धारा 13 में अधिकतम दण्ड के साथ-साथ अर्थादण्ड लगाने के अलावा क्रमशः छह माह और एक वर्ष के लिए न्यूनतम दण्ड का प्रावधान है, इसलिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत अनुतोष देने का दावा स्वीकार्य नहीं है। माननीय न्यायमूर्तियों ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में जहां एक विशिष्ट प्रावधान न्यूनतम दण्ड विहित करता है, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंधों को लागू नहीं किया जा सकता है।

20. मोहम्मद हाशिम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य⁴ में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों ने इस प्रश्न की जांच की है कि क्या दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत किसी अपराध के लिए न्यूनतम दण्ड के संबंध में न्यूनतम छह माह के दण्ड का प्रावधान है। यह अभिनिर्धारित गया कि अधिनियम, 1958 के लाभ को बढ़ाया नहीं जा सकता है जहां न्यूनतम दण्ड उपबंधित है तथा कण्डिका 19 में निम्नानुसार टिप्पणी की गई है:-

"19. विद्वान अधिवक्ता तर्क करते हैं कि विधायिका ने एक अवधि के लिए कारावास का दण्ड अधिरोपित करने के लिए निर्धारित की है जो छह माह से कम नहीं होगी और परंतुक केवल यह बताता है उस दण्ड को छह माह से कम की अवधि के लिए कम किया जा सकता है अतः इसे न्यूनतम दण्ड के रूप में माना जाना चाहिए। अरविंद मोहन सिन्हा [अरविंद मोहन

3 (2004) 4 SCC 590

4 (2017) 2 SCC 198



सिन्हा बनाम अमूल्य कुमार विश्वास, (1974) 4 एस. सी. सी. 222:1974 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 391] तथा रतन लाल अरोड़ा [राज्य बनाम रतन लाल अरोड़ा, (2004) 4 एस. सी. सी. 590 : 2004 एस. सी. सी. (क्रि.) 1353] के निर्णयों के आलोक में हम उक्त तर्क से प्रभावित नहीं हैं। हम आगे विस्तार से बता सकते हैं कि जब विधायिका ने स्वनिर्णय के बिना न्यूनतम दण्ड विहित की है, तो न्यायालयों द्वारा इसे कम नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, न्यूनतम दण्ड का अधिरोपण, चाहे वह कारावास हो या अर्थदण्ड, अनिवार्य है और न्यायालय पर कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ता है। यद्यपि, कभी-कभी विधायिका न्यूनतम दण्ड विहित करती है परन्तु विवेकाधिकार प्रदान करती है और न्यायालय, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, कम दण्ड दे सकता है या कारावास का दण्ड नहीं देने का निर्णय ले सकता है। इस तरह के विवेकाधिकार में अभियुक्त को जेल नहीं भेजने का विवेकाधिकार सम्मिलित है। न्यूनतम दण्ड का अर्थ है एक ऐसा दण्ड जिसे न्यायालय पर कोई विवेकाधिकार छोड़े बिना अधिरोपित जाना है। इसका अर्थ है दण्ड की एक मात्रा जिसे निर्धारित अवधि से कम नहीं किया जा सकता है। यदि दण्ड को घटाकर शून्य किया जा सकता है, तो विधि न्यूनतम दण्ड निर्धारित नहीं करती है। एक प्रावधान जो न्यायालय को न्यूनतम दण्ड नहीं देने का विवेकाधिकार देता है, उसे न्यूनतम दण्ड निर्धारित करने वाले प्रावधान के बराबर नहीं माना जा सकता है। अतः दोनों प्रावधान समान नहीं हैं और इनके अलग-अलग निहितार्थ हैं, जिन्हें अपराधी परीवीक्षा अधिनियम के लिए मान्यता दी जानी चाहिए और स्वीकार किया जाना चाहिए।”



21. मध्य प्रदेश राज्य बनाम विक्रम दास⁵ के मामले में रतन लाल अरोड़ा (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय न्यायमूर्तियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुमोदन के साथ पालन किया गया है तथा माननीय न्यायमूर्तियों ने निम्नलिखित टिप्पणी की है :-

“6. राज्य बनाम रतन लाल अरोड़ा [राज्य बनाम रतन लाल अरोड़ा, (2004) 4 एस. सी. सी. 590:2004 एस. सी. सी. (क्रि.) 1353], यह न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 [भ्रष्टाचार अधिनियम] के तहत अपराधों के दोषी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 [परिवीक्षा अधिनियम] का लाभ प्रदान करने पर विचार कर रहा था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि जिन मामलों में परिवीक्षा अधिनियम के बाद अधिनियमित कोई अधिनियम कारावास की न्यूनतम दण्ड निर्धारित करता है, वहां परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :
(एस. सी. सी. पु. 596, कंडिका 12)

“12. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 7 के साथ-साथ धारा 13 में अधिकतम दण्ड के साथ-साथ अर्थदण्ड लगाने के अलावा क्रमशः छह माह और एक वर्ष के न्यूनतम दण्ड का प्रावधान है। धारा 28 में आगे उपबंधित किया गया है कि अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसकी अवहेलना करेंगे। सी. सी. ई. बनाम बाहुबली [सी. सी. ई. बनाम बाहुबली, (1979) 2 एस. सी. सी. 279:1979 एस. सी. सी. (क्रि.) 447] में भारत की रक्षा नियमों के नियम 126-त. (2)(ii), जिसमें न्यूनतम दण्ड विहित की गई है और भारत की रक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 43, परिवीक्षा अधिनियम के तहत अनुतोष देने के दावे के संदर्भ में अधिनियम की धारा 28 में

⁵ (2019) 4 SCC 125



निहित उद्देश्य के लगभग समान है, पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां परीक्षा अधिनियम के बाद अधिनियमित एक विशिष्ट अधिनियम में न्यूनतम कारावास की दण्ड निर्धारित की गई है, परीक्षा अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है यदि विशेष अधिनियम में किसी अन्य अधिनियम के संदर्भ के बिना इसे लागू करने का कोई प्रावधान है। विशेष अधिनियम के अवमूल्यन में, अभियुक्त को परीक्षा अधिनियम का लाभ देने की कोई गुंजाइश नहीं है।”

22. कर्नाटक राज्य बनाम प्रताप⁶ के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय तथा प्रकाश शॉ बनाम बंगाल राज्य व एक अन्य⁷ के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने, उपरोक्त निर्णयों (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांत का अवलंब लेते हुए समान दृष्टिकोण अपनाया है कि अपराधी परीक्षा अधिनियम को उन प्रकरणों में लागू नहीं किया जा सकता जिनमें न्यूनतम दण्ड विहित किया गया है।

23. उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों के आलोक में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर आते हुए, यह काफी स्पष्ट है कि 2012 के अधिनियम की धारा 10 में अधिनियम, 2012 की धारा 9(ड) के तहत दण्डनीय अपराध के लिए न्यूनतम पांच वर्ष का दण्ड निर्धारित की गई है और 2012 के अधिनियम को अपराधी परीक्षा अधिनियम के बाद स्वीकृत रूप से अधिनियमित किया गया था और यह न्यूनतम कारावास की दण्ड निर्धारित करता है, ऐसे में, अपराधी परीक्षा अधिनियम के उपबंधों को लागू नहीं किया जा सकता है अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया है यह निवेदन कि अपीलार्थी को परीक्षा पर रिहा किया जा सकता है, एतद्वारा अस्वीकार किया जाता है।

6 CRL.A No. 1335 of 2017

7 CRA No. 69 of 2018

**निष्कर्ष :-**

24. मामले के उस दृष्टिकोण में, विचारण न्यायालय अपीलार्थी को भा. द. वि. की धारा 354 और अधिनियम, 2012 की धारा 9 (ड)/10 के तहत अपराध के लिए सिद्धदोष करने में पूरी तरह न्यायसंगत है और मैं इस अपील में कोई सार नहीं पाता हूँ। यह अपील खारिज किए जाने योग्य है और तदानुसार खारिज की जाती है।

25. रजिस्ट्री को इस निर्णय की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को भेजने का निर्देश दिया जाता है, जहां अपीलार्थी अपनी जेल की सजा काट रहा है, अपीलार्थी को सूचित करते हुए कि वह उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील प्रस्तुत कर इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है।

सही/-

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

